सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई

DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फ़ाइल सं.20-16/8/2020-प्रशिक्षण-नौमनि **दिनांक:10.02.2021**

नौमनि आदेश संख्या 2021 का 09

दिनांक 10.11.2020 के नौमनि आदेश सं 37/2020 का अनुशेष I

विषय: समुद्रकर्मी डेटा को सही करने हेतु जुर्माना न लगाया जाना -----नौमनि आदेश सं 37/2020 के संबंध में तारीख को बढ़ाया जाना

जबकि, निदेशालय ने दिनांक 30.04.2019 के प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 08/2019 के माध्यम से उम्मीदवारों के आईएनडीओएस संख्या बनाने का दायित्व एमटीआई को दिया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुद्रकर्मी डेटा सही है, निदेशालय के उस परिपत्र के अनुच्छेद 10.2 में यह लिखा गया है कि प्रस्तुत डेटा (बैच विवरण आदि) में किन्ही त्रुट्टियों/सही किए जाने की स्थिति में पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति को संलग्न करके ठीक की जाने वाली गलतियों के साथ एमटीआई आईएनडीओएस सेल को सीधा मेल करें. हर गलती को सुधारे जाने के लिए एमटीआई से 3000/- रूपए जुर्माने के तौर पर वसूले जाएँगे।

2. निदेशालय ने दिनांक 10.11.2020 के नौमनि आदेश संख्या 37/2020 के माध्यम से दिनांक 10.11.2020 से 09.02.2021 तक तीन महीनों की अवधि के लिए 3000 रूपए जुर्माने के प्रावधान से छूट देते हुए उपर्युक्त परिपत्र का आंशिक आशोधन किया है।

3. समुद्रकर्मियों के लिए एक्ज़िट परीक्षा के आयोजन हेतु एमटीआई वर्चुअल क्लास/लाइव वीडियो सत्र के माध्यम से पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं. अत: एमटीआई द्वारा उम्मीदवारों के विवरणों का प्रत्यक्ष सत्यापन करना संभव नहीं है। वैश्विक महामारी की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए निदेशालय ने इस छूट को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

4. इसको ध्यान में रखते हुए, दिनांक 30.04.2019 के प्रशिक्षण परिपत्र को आंशिक रूप से आशोधन कर दिनांक 10.02.2021 से 09.05.2021 तक तीन और महीनों तक की अवधि बढ़ाकर एमटीआई पर यह 3000/- रूपए का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

10/2/21

(अमिताभ कुमार)
नौवहन महानिदेशक एवं
अपर सचिव, भारत सरकार

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in